प्रेस नोट **12 / 05 / 2024**

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 14/05/2024 को **थाना कोतवाली नगर पुलिस** द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कृष्ण विहार कालोनी भीटी के पास से प्रिंस यादव उर्फ अनुज यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी पावर हाउस कालोनी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ को 01 अदद अवैध तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया , जो थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर है। इस सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 152/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार –

आज दिनांक 14/05/2024 को **थाना घोसी पुलिस** द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मझवारा मोढ़ के पास से मु0अ0स0 149/2024 धारा 452,354, भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गोविन्दा पुत्र रामनाथ निवासी बड़ागाँव भरोटी थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।